International Insights
JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH
(IIJMR)
I S S N
3049-0847
Vol. 3 | Issue 3
2026

www.insightresearch.org.in ◆ editor@internationalinsights.com ◆ Peer Reviewed & Refereed Journal

"औपनिवेशिक काल में उत्तर प्रदेश के किसानों के संघर्ष का ऐतिहासिक विश्लेषण"

शोध निर्देशक
प्रो0 तबस्सुम फरखी
इतिहास विभाग
एम0एल0के0 (पी0जी0) कॉलेज
बलरामपुर (उ0प्र0)

शोध छात्र
अरूण कुमार वर्मा
इतिहास विभाग
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु
सिद्धार्थ नगर, उ0प्र0-272202

सारांश

18वीं सदी अंत एवं 19वीं सदी के प्रारम्भ में अलग–अलग क्षेत्रों में किसानों के द्वारा चलाए गये आन्दोलन, जिसमें उत्तर प्रदेश क्षेत्र के किसान आन्दोलन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। औपनिवेशिक काल के प्रारिम्भक दौर में किसान उपनिवेशवाद और औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था को जानते समझते नहीं थे। उनके पास न तो कोई विचारधारा थी और न कोई ठोस सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक कार्यक्रम। जो ब्रिटिश नीति के खिलाफ उनका मार्गदर्शन कर सके। उनका संघर्ष समाज की पुरानी मान्यताओं और परम्पराओं के दायरे में सिमटा हुआ था। लेकिन उसी कृषक समाज और उन्हीं के बीच में रहने वाले साधु–सन्यासियों, किसानहितोसियों ने किसानों के दर्द को समझा और आन्दोलन को एक मजबूत स्तम्भ प्रदान करने के साथ ही उन्हें अपने अधिकार के प्रति भी जागरूक किया। जिन्होंने किसानों की जर्जराती हुई जड़ों को सहारा देकर एक नयी मजबूती प्रदान की। जिससे फलस्वरूप किसान आन्दोलन अपनी एक नयी दिशा एवं सफलता की ओर अग्रसर होता चला गया।

शब्द सूची– औपनिवेशिक शासन, किसान, भूमि व्यवस्था, कर संग्रह।

Received	Accepted	Published	Article Type
25/07/2026	15/08/2026	01/09/2026	Research Paper

© 2026 IIJMR | All Rights Reserved
www.insightresearch.org.in

Vol. 3, Issue 3, July-September 2026
doi.org/10.5281/zenodo.22235971

International Insights
JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH
(IIJMR)
ISSN 3049-0847
Vol. 3 | Issue 3
2026
www.insightresearch.org.in ◆ editor@internationalinsights.com ◆ Peer Reviewed & Refereed Journal

भूमिका–

औपनिवेशिक काल में भारतीय भू–राजस्व प्रणाली:

18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी के प्रारम्भ में किसानों द्वारा अनेक आन्दोलन चलाये गये जो ब्रिटिश सरकार द्वारा लाये गये भू–राजस्व प्रबंधन (स्थायी बन्दोवस्त, रैयातवाड़ी तथा महालवाड़ी व्यवस्था) की देन थी। जो ब्रिटिश सरकार द्वारा किसानों के शोषणकारी लगान व्यवस्था, किसानों के अधिकारों की अवहेलना, लगान अधिकारियों के मनमानापन और राजस्व कानून भी जमीदारों के पक्ष में ही थे।[1]

औपनिवेशिक काल मे ब्रिटिश सरकार किसानों से कर उगाही करके ब्रिटिश सरकार अपने मूल देश भेज देती थी जिसे **दादा भाई नौरोजी** ने अपने ***'धन निष्कर्षण सिद्धान्त'*** में ब्रिटिश सरकार के शोषण को उजागर किया था। ब्रिटिश लेखक जॉन सुल्लिवान ने कहा है ***'भारतीय ब्रिटिश सरकार उस स्पंज की तरह कार्य करती है जिसमें गंगा नदी से संसाधनों को सोखकर टेम्स नदी में निचोड़ देती है।'*** राज्य द्वारा अधिक भू राजस्व का निर्धारण, राजस्व इकट्ठा करने वाले अधिकारियों का भ्रष्ट आचारण और कड़ा व्यवहार इत्यादि कारणों के फलस्वरूप किसानों द्वारा विद्रोह हुआ करते थे। उत्तर प्रदेश का क्षेत्र कृषि प्रधान प्रान्त होने कारण जनसंख्या का अधिकाँश भू–भाग कृषि पर ही निर्भर था। इसके परिणामस्वरूप भारत में औपनिवेशिक शासन स्थापित होने के बाद जो नीतियाँ लागू की गईं, उनका भारतीय किसानों पर अत्याधिक विनाशकारी प्रभाव पड़ा अंग्रेजी भू राजस्व बंदोवस्त, करो का भारी बोझ था। इस प्रकार किसानों को उनकी ही जमीन से बेदखल करना और जमीदारों द्वारा उनकी ही पैतृक जमीनों को हड़पना। कृषि नीति में हुए भारी बदलाव से स्थिति पर इसका विनाशकारी प्रभाव पड़ा।[2]

उत्तर प्रदेश टेनेन्ट्स ऐक्ट के द्वारा ताल्लुकेदारों को मनमाने ढंग से किसानों के उत्पीड़न का अच्छा मौका मिला। और भू–राजस्व भूमि किराय के भारी बोझ के कारण किसान गाँव के व्यापारियों और जमीदारी के ऋणी हो जाया करते थे। दूसरी कार्यवाही जिससे इस वर्ग को हानि हुई वह भी माफी जमीनों (निजी भूमि) में से बेदखली, माफी जमीने अधिकांश ऐसे लोगों को प्राप्त हुई थीं जिन्होंने प्रारम्भ में कम्पनी राज्य की कोई विशेष सेवा की थी। इस प्रकार से किसानों के अंदर एक भय सा छा गया। कि सदियों से जिस जमीन पर वह कृषिरत् थे वह उनकी नहीं रही। जो कुछ हुआ वह एक प्रकार की जब्ती या मनमानी थी। जिससे किसानों का जीवन पतन उस अन्धेरी गुमनाम गहराईयों की खाई में इस तरह धसता चला गया। जहाँ अंधकार के अलावा कुछ ना था लेकिन उस अंधकारयुक्त गहरी खाई के जीवन से निकलने के लिए किसी न किसी को प्रयास करना था। निरन्तर कोशिश से उम्मीद की एक किरण मिलना स्वभाविक था। किसानों ने यह तय किया कि इस शोषणकारी दलदल से निकलने के लिए संघर्ष का रास्ता चुनना होगा।[3]

भूस्वामित्य में बदलाव :

ब्रिटिश शासन काल में भारतीय कृषि व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन आया। अब भातरीय किसान स्थानीय आवश्यकताओं और स्थानीय उद्योगों के लिए उत्पादन नही करते थे। ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश उद्योगों के लिए भारतीय किसान अन्न व कपास तथा कृषि उत्पादों का उत्पादन करने लगे। भारतीय कृषि का वाणिज्यिकरण औपनिवेशिक सरकार अपने हितों के अनुकूल करने का प्रयास करने लगी।

उत्तर प्रदेश किसानों को कृषि के वाणिज्यिकरण व उत्पादों का उचित लाभ नहीं मिला क्योंकि माण्डी में अधिक दाम होने पर उसका लाभ बिचौलिये ले लेते थे और कृषि उपज के दाम कम होने पर उसका खमियाजा किसानों को भुगतना पड़ता था। अंग्रेजों द्वारा भारत पर विजय के बाद पुरानी भूव्यवस्था में बहुत से परिवर्तनों का सिलसिला आरम्भ हो गया। नई लगान व्यवस्था ने गाँव की जमीन पर लोगों की सदियों से चली आ रही मालिका हक को समाप्त कर उसी जगह भूस्वामित्य के दो रूपों का अगाज हुआ। देश के कुछ भागों में जमींदारी और अन्य भागों पर किसानों की निजी मिलकियत।[4]

उत्तर प्रदेश में इस प्रकार धीरे–धीरे जो पुरानी भूव्यवस्था थी लगभग समाप्त होती जा रही थी। और इसकी जगह नयी व्यवस्था को लागू किया जा रहा था जो खासकर निम्न बातों से जमीदारी प्रथा को लागू किया गया। ईस्ट

© 2026 IIJMR | All Rights Reserved

International Insights
JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH
(IIJMR)
I S S N
3049-0847
Vol. 3 | Issue 3
2026
www.insightresearch.org.in ◆ editor@internationalinsights.com ◆ Peer Reviewed & Refereed Journal

इण्डिया कम्पनी जमीन के बंदोबस्त की अंग्रेजी न्यायिक एवं आर्थिक विचारधारा को ही अपना सकती हैं। ब्रिटिश जो यहाँ जो व्यवस्था लागू करना चाहते थे वो इंग्लैंड का आर्थिक अतीत भारत से मूलतः भिन्न था। उत्तर प्रदेश में जमींदारी प्रथा अंग्रेजों के भूराजव्यवस्था के कारण बहुत फली–फूली थीं जिसके लिए भारत के आर्थिक इतिहास में कोई मिसाल नहीं थी।[5]

नई भूमि व्यवस्था :

भूमि के विभाजनकारी कार्य से कृषक वर्ग बहुत गर्त में समाता चला गया प्रत्येक किसान की जमीनें कम होती गईं और जोत वाली जमीन अधिकाधिक अनार्थिक होती गई। यूरोप में जब कृषि व्यवस्था में पूँजीवादी व्यवस्था का जन्म हुआ, तो उसके साथ ही खेती की इकाई के रूप में ससंगठित फार्मों का जन्म हुआ था।[6]

मार्टिन गब्बिन्स जो उत्तर प्रदेश अवध के फाइनेन्सियन कमिश्नर थे जो लिखते हैं कि स्वयम् ताल्लुकेदार की स्थिति अनिश्चित रहती थी। तथा छोटे किसानों के तो जानवरों से भी बदतर समझा जाता था। ब्रिटिश सरकार के हाथ में कानून तथा न्यायालय बने रहने से न्याय पाना असम्भव था। किसानों को ''बेदखली कानून'' तथा बेगार जैसी परिस्थितियों से निकल पाना पूर्णतः असम्भव था। इन समस्याओं से किसान व्यक्तिगत रूप में मुक्ति नहीं पा सकता था।[7]

बढ़ती हुई किसानों की ऋणग्रस्तता (रेवेन्यू एक्ट) :

ग्रामीण ऋण का भार भारत के ग्रामीण किसानों पर कितना अधिक था यह इस तथ्य से मालूम होता है कि 1925 में एम0एस0 हार्लिग ने इसका अनुमान 625 केन्द्रीय बैंकिग कमेटी ने 1929 में 900 करोड़ तथा कृषि ऋण विभाग ने 1937 में 1800 करोड़ लगाया था।[8] इस ऋण भार के कारण रैयतवाड़ी भूमि प्रबन्ध के क्षेत्रों में किसानों की भूमि के कर्ज देने वाले साहूकारों के हाथ में धीरे–धीरे जा रही थी तथा जमींदारों के प्रबन्ध वाले क्षेत्रों में ऋणदाता चूँकि जमींदार या उनका कोई आदमी ही होता था ऋण न अदा करने से किसानों की सामूहिक बेदखली बहुत ही तीव्र प्रक्रिया से हो रही थी। इस कारण भी कम जमीन वाले किसान भूमिहीन मजदूर के रूप में बदलते गये।[9]

दूसरी तरफ जमींदार को नियमित कर देने के अतिरिक्त जमींदार काश्तकारों को ''नजराना'', अबवाब और विशेष अवसरों पर अन्य उपहार देने के लिए बाध्य किया करते थे। किसानों को अपनी जोती हुई जमीन पर कोई दखल अधिकार नहीं था। जमींदार को उन्हें बेदखल करने का अधिकार था, जिसका प्रयोग प्रायः किसानों को परेशान करने के लिए किया करते थे। जिस परिणामस्वरूप कभी–कभी किसानों और जमींदार के बीच बेदखली के सवाल पर छोटी–मोटी साधरण सी नोकझोंक होती रहती थीं। किसान नेता तथा किसानों ने आपस में मिलकर यह अनुभव महसूस किया कि उन्हें सरकार और जमींदार की गलत नीतियों के विरूद्ध असंगठित नहीं रहना चाहिए।

किसानों की बढ़ती हुई जागरूकता :

जनवरी 1921 उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के दाहिनी भाग के किसानों ने अपने ताल्लुकेदारों जमींदारों के विरूद्ध सभी लोगों ने मिलकर इन सब के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। वहाँ के जिलाधिकारी को ऐसी अनेक प्रकार की सूचनायें मिल रहीं थीं कि जो किसान एकजुट हुए हैं उन किसानों ने एक दल बना लिया है जो एक जमींदार से दूसरे जमींदार घूम–घूम कर जो जमींदारों की व्यक्तिगत जमीनों पर फसलें थीं उनकों नष्ट कर रहे थे।

इसी तरह बहुत से जमींदारों की दुकानें तथा गोदामों को लुट लिया गया जिसके चलते यह मामला पुलिस तक गया, पुलिस सुपरिम्टेनेन्ट और डिप्टी कमिश्नर के पहुँचने पर ही उनकी रक्षा हो सकी। 13 किसान नेता को उसी वक्त गिरफ्तार कर लिया गया।[10]

इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि किसान अपनी वर्गीय माँगों के साथ ही अपने दुश्मनों के बारे में 'सजग' और जागरूक थे और उनके विद्रोह का लक्ष्य जमींदार, साहूकार तथा सरकार तीनों ही थे। यद्यपि 6 जनवरी को निश्चिय रूप से गंज बाजार पर किसानों का हमला नहीं हो सका लेकिन किसानों की भीड़ ने हमला कर और फुरसतगंज बाजार को भी लूट लिया।

© 2026 IIJMR | All Rights Reserved
www.insightresearch.org.in

Vol. 3, Issue 3, July-September 2026
doi.org/10.5281/zenodo.22235971

International Insights
JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH
(IIJMR)
I S S N
3049-0847
Vol. 3 | Issue 3
2026
www.insightresearch.org.in ◆ editor@internationalinsights.com ◆ Peer Reviewed & Refereed Journal

इसके उपरान्त स्थिति में और भी अधिक परिवर्तन हो गया। जगह–जगह किसान सभाओं का आयोजन करके अवैध उगाही तथा बेगार न देने को कहा जाने लगा। किसान की जो भी समस्या थी वह सीधे किसान सभा में समाधान के लिये जा सकता था। किसान के नेता बाबा रामचन्द्र किसान आन्दोलन के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर लिया गया था। किसानों ने डंडा, पत्थर से प्रतिरोध किया जिससे घोड़ों पर सवार कई पुलिस वाले घायल हो गये। यह सब जवाहर लाल नेहरू ने अपनी आँखों देखा विवरण पेश किया तथा लिखा है कि ''जैसा ही मैं नदी के पुल पर पहुँचा मैने गोली चलने की आवाजें सुनी। मुझे सेना द्वारा पुल पर ही रोक लिया गया वहाँ बहुत से किसान गोली चलने के कारण मारे गये।''[11]

उत्तर प्रदेश के चार जिलों रायबरेली, प्रतापगढ़, फैजाबाद, सुल्तानपुर में तीर और तलवार लेकर चलने पर काफी समय तक प्रतिबन्ध लगा दिया गया। जिससे भारत सरकार को ग्रह विभाग भी सहमत था। इस प्रकार सरकारी दमन चक्र का झूठा विवरण देते हुए जो सरकारी स्थिति निकली उसका उत्तर देते हुये इलाहाबाद के दैनिक इण्डिपेन्डेन्ट ने एक लेख लिखा जिसमें अपने 25 मार्च 1921 के अंक प्रकाशित किया।[12]

13 मई को भारत सरकार के ग्रहसचिव को भेजे गये अपने तार में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव के स्पष्ट रूप से यह माना कि स्थिति बहुत तेजी के साथ बदलती जा रही है और इस प्रकार पुलिस बल के अधिकारों का मनोबल गिरता जा रहा है तथा यूरोपीय समुदाय का जीवन खतरे में है।[13]

उत्तर प्रदेश के किसानों ने अपना संगठन एका संघ यूनियन के नाम से बनाया जिसके नेता दो तथाकथित दलित जातियों के मदारी पासी और शाहसेख थे। इस संगठन की एकजुटता ने उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में एक रिक्तता की पूर्ती की और उत्तर प्रदेश में किसान आन्दोलन को शक्ति प्रदान की।[14]

इस प्रकार उत्तर प्रदेश के किसानों का आन्दोलन अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए लगातार संघर्ष करते रहे। इस आन्दोलन की यह सफलता रही कि इसने किसान जनता के बहुमत को अपनी समस्यओं तथा माँगों के लिये आत्मनिर्भर बनाया तथा उनकों संघर्ष करने की प्रेरणा दी।

निष्कर्षः–

19वीं सदी उत्तर प्रदेश में जमीदारी तथा ताल्लुकेदारी शोषण और अत्याचार के विरूद्ध का वर्ष था। इसी क्रम में इस ताल्लुकेदारी व्यवस्था ने औपनिवेशिक शासन के दौरान आरम्भ से ही जमीन और कृषक वर्ग पर औपनिवेशिक अधिकारियों की गिद्ध दृष्टि लगी हुई थी। लगान सरकारी आय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत था और किसान खेतों में काम करते थे। कभी–कभी जमींदारों और सरकार के खिलाफ विद्रोह भी कर दिया करते थे। उत्तर प्रदेश की जनता की माली हालत कितनी ही खराब क्यों न हो। सरकारी कानूनों द्वारा किसानों से लगान वसूलने का कार्य जमींदार और ताल्लुकेदारों करें और सरकार उनसे मालगुजारी लेती भी रहे। चाहे फसल हो न हो, किसान की माली हालत ठीक हो या न हो, साम्राज्य का हित साधन बराबर होता रहे। इसके लिये यदि किसानों पर अत्याचार और उत्पीड़न भी करना हो तो वह, जमींदार या ताल्लुकेदार करें और वही किसानों के असन्तोष तथा क्षोभ का पात्र भी ही बने। यह उत्पीड़न तथा अत्याचार सामाजिक अहित के लिये ब्रिटिश की कठपुतली रूप में जमींदार या ताल्लुकेदार करें। औपनिवेशिक प्रशासन और ताल्लुकेदारी व्यवस्था ने जनसमुदाय एवं किसानों को दो पाटों के बीच पिसने के लिए मजबूर कर दिया था। जिससे फलस्वरूप जमींदारी प्रथा के घोर शोषण एवं अत्याचारों ने किसानों की सहन शक्ति को समाप्त कर दिया। किसाना नेताओं के नेतृत्व में स्थानीय लोगों को आन्दोलनोंन्मुख किया।

© 2026 IIJMR | All Rights Reserved
www.insightresearch.org.in

Vol. 3, Issue 3, July-September 2026
doi.org/10.5281/zenodo.22235971

International Insights
JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH
(IIJMR)
I S S N
3049-0847
Vol. 3 | Issue 3
2026
www.insightresearch.org.in ◆ editor@internationalinsights.com ◆ Peer Reviewed & Refereed Journal

सन्दर्भः–

1. इम्तियाज अहमद, ''मध्यकालीन भारत'', पृ0 470।
2. बी0एल0ग्रोवर, अलका मेहता यशपाल, ''आधुनिक भारत का इतिहास'', पृ0 441।
3. वी0एन0मेहता, जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ की रिपोर्ट (11 नवम्बर, 1920), पृ0 6।
4. डब्ल्यू0एच0 मोरलैन्ड, ''मुस्लिम भारत की ग्रामीण अर्थ व्यवस्था'', अनुवाद, कमलाकर तिवारी, पृ0 18।
5. डब्ल्यू0एच0, मोरलैन्ड, उद्घृत पृ0 19।
6. वही, पृ0 22।
7. कमिश्नर फैजाबाद का मुख्य सचिव, संयुक्त प्रान्त, लखनऊ को लिखे दिनांक 3 दिसम्बर, 1920 का पत्र।
8. वाडिया एवम् मर्चेन्ट–आवर इकोनामिक प्राब्लम, पृ0 85, 87।
9. ए0आर0 देसाई, उद्घृत, पृ0 61।
10. एस0 चौधरी, उद्घृत पृ0 79।
11. वही, पृ0 80।
12. एस0 चौधरी, उद्घृत पृ0 95।
13. रि0आ0पो0मि0 ह्यू0फे0ए0 15 मई, 1921 प्रो0 हो0डि0 (पो0) एवं फा0नं0–72।
14. मस्कालियोव दी नेशनल रिबोल्यूशनरी मूवमेंट इन इण्डिया इन 1921–22, हिस्टोरिकल जर्नल मास्कों 1940 अंक 2 पृ0 85।

© 2026 IIJMR | All Rights Reserved
www.insightresearch.org.in

Vol. 3, Issue 3, July-September 2026
doi.org/10.5281/zenodo.22235971